भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2868
06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

एएसयूएसई

2868. श्री शशांक मणिः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2023-24 में सम्मिलित अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मुद्रा ऋण और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने अनिगमित उद्यमों के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ग) क्या उद्यम विकास और रोजगार में कोई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां.और कार्य.कार्या.मंत्रा.) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अक्टूबर, 2023 से सितंबर, 2024 के दौरान अनिगमित क्षेत्र उद्यमों (एएसयूएसई) का वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24 आयोजित किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों (निर्माण को छोड़कर) में अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं को मापना था।

अक्टूबर, 2023 - सितंबर, 2024 के दौरान आयोजित एएसयूएसई 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, एएसयूएसई 2023-24 में सर्वेक्षण किए गए प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 4,98,024 थी। अक्टूबर, 2023 – सितंबर, 2024 के दौरान अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या 7,33,99,476 है।

मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने भारत में अनिगमित उद्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, एएसयूएसई में उनके प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

एएसयूएसई 2022-23 और एएसयूएसई 2023-24 की रिपोर्टों के अनुसार अनिगमित गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों और श्रमिकों की राज्यवार अनुमानित संख्या अनुबंध में दी गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 06.08.2025 को उतरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2868 के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुबंध

राज्य	एएसयूएसई 2022-23		एएसयूएसई 2023-24	
	प्रतिष्ठान	श्रमिक	प्रतिष्ठान	श्रमिक
आंध्र प्रदेश	32,05,746	49,41,337	36,34,267	51,44,792
अरुणाचल प्रदेश	70,927	1,04,510	66,682	99,151
असम	9,17,312	13,21,534	11,73,929	17,02,236
बिहार	37,01,144	58,95,375	43,19,314	58,51,757
छत्तीसगढ	9,39,667	18,08,362	12,05,121	22,68,265
दिल्ली	9,30,269	19,99,614	9,97,101	21,94,598
गोवा	53,049	1,18,205	58,742	1,50,979
गुजरात	34,94,085	68,80,754	46,45,859	92,00,653
हरियाणा	11,56,396	21,68,911	12,85,262	23,87,829
हिमाचल प्रदेश	5,18,709	7,58,087	5,38,350	8,10,204
झारखंड	19,77,514	28,92,648	17,67,860	25,70,291
कर्नाटक	34,74,043	58,32,890	36,49,865	58,25,296
केरल	23,19,510	38,50,802	26,46,492	47,49,599
मध्य प्रदेश	32,71,960	55,58,912	39,87,456	64,76,407
महाराष्ट्र	60,97,234	1,15,51,427	64,44,857	1,21,48,273
मणिपुर	1,68,963	2,14,579	1,87,464	2,67,435
मेघालय	1,64,419	3,20,986	1,89,814	3,06,179
मिजोरम	12,841	17,109	16,863	28,659
नगालैंड	53,657	1,05,778	71,674	1,21,882
ओडिशा	29,48,723	40,87,349	34,19,288	47,86,444
पंजाब	16,57,995	28,11,437	18,71,246	31,49,055
राजस्थान	28,37,753	54,08,175	35,04,012	63,65,206
सिक्किम	42,215	78,754	45,938	71,937
तमिलनाडु	42,29,039	84,58,091	45,24,484	87,46,975
तेलंगाना	24,76,860	36,81,180	27,65,997	42,97,888
त्रिपुरा	1,51,335	1,90,951	1,83,220	2,53,346
उत्तर प्रदेश	89,94,323	1,57,45,855	93,83,148	1,59,95,004
उत्तराखंड	5,05,049	8,28,105	6,12,174	10,09,650
पश्चिम बंगाल	78,31,257	1,05,41,884	92,67,816	1,20,38,420
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21,708	47,998	18,990	37,075
चंडीगढ़	35,253	77,804	77,847	1,81,169

दादर एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव	32,994	66,527	38,245	86,610
जम्मू और कश्मीर	6,65,253	10,73,669	7,00,352	10,62,851
लद्दाख	17,394	30,032	18,146	31,145
लक्षद्वीप	3,098	4,696	4,477	7,622
पुदुचेरी	70,696	1,51,643	77,122	1,74,934
अखिल भारतीय	6,50,48,390	10,96,25,967	7,33,99,476	12,05,99,815